राजस्थान में बच्चों पर कोविड-19 का प्रभाव

A. *पृष्ठभूमि*

कोविड-19 महामारी विश्व में अप्रत्याशित संकट और उससे निपटने की चुनौतियाँ लेकर आया। दुनिया भर में इस महामारी ने जीवन की गति धीमी कर दी। बच्चों के जीवन पर इस महामारी का बहुत प्रभाव रहा जिसके कारण उनके जीवन में सुरक्षा और शिक्षा के अधिकारों के लिए भारी चुनौती खड़ी हो गयी है। इसी संदर्भ में टाटा ट्रस्ट ने काउन्सिल फ़ॉर सोशल डेवलपमेंट (CSD) को जो अध्ययन का कार्य सौंपा, जिसके तहत झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण बच्चों के जीवन और उनकी शिक्षा पर देश में जारी इस महामारी के असर का अध्ययन किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों से एकत्र की गयी जानकारियों के आधार पर इस अध्ययन में ऐसे लघु और दीर्घकालिक समाधानों की रूपरेखा तैयार करने का सुझाव दिया गया है ताकि महामारी के बाद बच्चे पुन: पूर्ण आत्मविश्वास और सफलतापूर्वक स्कूल जाना प्रारम्भ कर सकें।

राजस्थान में प्राथमिक सर्वेक्षण का काम मार्च 2022 में राज्य के करौली ज़िले के हिंडौन ब्लॉक में और सिरोही ज़िले के आबू रोड और पिंडवारा ब्लॉकों में किया गया। सर्वेक्षण कार्यक्रम, विशेष समूह चर्चा (FGD), और खुले साक्षात्कारों के माध्यम से 300 अभिभावकों, 300 बच्चों, 30 शिक्षकों, 30 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, तीन स्कूलों और दूसरे हितधारकों जैसे सरकारी अधिकारियों, ग़ैर-सरकारी संगठनों (NGOs), स्कूल प्रबंधन समिति (SMC) के सदस्यों और पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से सूचनाएँ एकत्र की गयीं। इस अध्ययन की मुख्य बातों की चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं।

B. मुख्य निष्कर्ष

I. परिवार और बच्चों पर महामारी का प्रभाव

- *सामाजिक-आर्थिक प्रभाव :* इन क्षेत्रों में अभिभावकों का मुख्य कार्य खेती, पशुओं की देखभाल है, पर अधिकांश लोग दिहाड़ी मज़दूर हैं। कोविड-19 के शुरुआती दौर लगे लॉकडाउन में इन लोगों की आजीविका पर काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और 10 में से 9 अभिभावकों ने बताया कि उनकी आजीविका चली गयी। सबसे ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव वेतनभोगी लोगों और दिहाड़ी मज़दूरों पर पड़ा। परिवारों की आय में कमी आयी एक लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवारों का प्रतिशत बढ़कर मार्च 2022 में 53 हो गया जो कि कोविड के प्रकोप से पहले 44.3 प्रतिशत था।
- *बच्चों पर प्रभाव :* परिवार की प्रतिकूल परिस्थिति ने बच्चों भी प्रभावित किया जिन परिवारों के लोगों अपनी रोजगार को खोया, उनमें बच्चों के स्कूलों से ड्रॉप आउट के सात मामले सामने आए। इनमें से छह बच्चों ने घर की आय बढ़ाने, छोटे भाई-बहनों की देखभाल करने और घर का काम करने के लिए स्कूल छोड़ दिया था। 14 प्रतिशत बच्चों ने बताया कि वे ऐसे काम कर रहे हैं ताकि परिवार की आय बढ़ा सकें। आबू रोड में क़रीब एक-चौथाई अभिभावकों ने बताया कि जब स्कूल बंद थे उस समय उनके बच्चे उनके साथ काम पर जाते थे और खेतिबाड़ी, पशुपालन आदि में हाथ बँटाते थे।
- *लिंग भेद:* लड़के और लड़कियां जिस तरह का काम करते थे उसमें जेंडर का अंतर स्पष्ट देखा जा सकता था। क़रीब 60 प्रतिशत लड़के और 45 प्रतिशत लड़कियाँ घर के काम में लगे थे; लड़के रोज़मर्रा के काम में लगे थे जबकि लड़कियाँ बर्तन और कपड़े धोने और घरों की सफ़ाई आदि का काम करती थीं।
- *बच्चों का स्वास्थ्य और पोषण :* 15 प्रतिशत से अधिक अभिभावकों ने बताया कि इस अवधि के दौरान उनके बच्चे ज़्यादा खाना खाते हैं जबकि पांच प्रतिशत का कहना था कि उनके बच्चे कम खना खा रहे हैं। लॉकडाउन के शुरुआती समय में बच्चों को पोशाक आहारों की आपूर्ति को नज़रंदाज़ किया गया पर बाद में जब तक उनका स्कूल बंद रहा, उन्हें सूखे राशन के रूप में मध्याह्न भोजन (MDM) दिया गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (AWWs) ने बताया कि उन्होंने छह साल से कम उम्र के बच्चों को पोशाक आहार उपलब्ध कराया। हालाँकि, सिर्फ 10 प्रतिशत अभिभावकों ने इसके मिलने की बात स्वीकार की। इसी तरह, जब तक स्कूल बंद रहे उस पूरी अवधि के दौरान स्कूलों ने भी बच्चों को सूखे राशन के रूप में मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया और क़रीब 85 प्रतिशत अभिभावकों ने नियमित रूप से घर ले जानेवाले (THR) सूखे राशन के मिलने की बात कही। स्कूलों के बंद रहने के दौरान भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सारे महत्वपूर्ण कार्य जैसे टीकाकरण, कीड़े की गोलियाँ और बच्चों के वजन और लंबाई मापने का काम लगातार जारी रहा।
- *बच्चों की भलाई:* एक-तिहाई अभिभावकों ने बताया कि स्कूल के बंद हो जाने के बाद उनके बच्चों का सामाजिक संवाद कम हो गया। लगभग आधे अभिभावकों ने बताया कि स्कूलों के बंद रहने के दौरान ब्च्चों के साथ उनके जुड़ाव काफ़ी अच्छा रहा।
- *बच्चों को सुरक्षा :* हिंदौन और आबू रोड में क़रीब 5 प्रतिशत बच्चों ने कहा कि उनके परिचित दोस्तों और अन्य बच्चों की स्कूल के बंद रहने के दौरान शादी कर दी गयी। FGD में अभिभावकों ने बताया कि उनके क्षेत्रों में बाल विवाह की घटना बढ़ गयी है और एक पंचायत अध्यक्ष ने बाल विवाह का सबसे मुख्य कारण ग़रीबी बताया। करौली ज़िला में घरेलू हिंसा को सबसे बड़ी चुनौती बताया गया जिससे बच्चे प्रभावित हो रहे थे क्योंकि महामारी के दौरान इसमें काफ़ी वृद्धि हुई। लड़कियों की सुरक्षा को भी बड़ा ख़तरा बताया गया। आबू रोड में बलात्कार, बाल विवाह, लड़कियों की तस्करी आदि काफ़ी आम है और लोग इन समस्याओं का खुलकर विरोध नहीं कर पा रहे हैं।

II. *बच्चों की शिक्षा पर महामारी का प्रभाव*

1. स्कूल के बंद रहने के दौरान शिक्षा

- *स्कूल के बंद रहने का प्रभाव :* मार्च 2020 से सितम्बर 2021 तक लगभग 18 महीने स्कूलों के बंद रहने का बच्चों की शिक्षा पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, इससे उनका अनुशासन प्रभावित हुआ और दिनचर्या बिगड़ गयी। लगभग 90 प्रतिशत अभिभावकों ने यह स्वीकार किया कि स्कूलों बंद होने के कारण बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई।
- *स्कूल की बुनियादी सुविधाओं में व्यवधान :* क़रीब 10 प्रतिशत अभिभावकों ने महामारी के बाद स्कूल भवनों और कक्षाओं की ख़राब हालत और शौचालयों में पानी की आपूर्ति नहीं होने पर चिंता जतायी। आबू रोड में 29 प्रतिशत लोगों ने स्कूल भवनों की जर्जर हालत की चर्चा की।
- *पहुँच :* लगभग 98 प्रतिशत बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। 30 प्रतिशत बच्चों ने बताया कि महामारी के बाद उन्होंने स्कूल बदल लिया है। इन बच्चों में से लगभग 60 प्रतिशत ने कहा कि वे गैर-सरकारी स्कूलों की फ़ीस नहीं भर सकते थे जबकि कुछ बच्चों ने बताया कि वे दूसरे इलाक़े में चले गए हैं।
- *शिक्षकों की कमी :* जिन सरकारी स्कूलों का सर्वेक्षण किया गया वहाँ प्रधान शिक्षक ने स्कूल में शिक्षकों की कमी होने की बात कही। इस समस्या से निपटने के लिए अनुबंध पर शिक्षकों को नियुक्त किया गया है।
- *स्कूलों के बंद रहने के दौरान शिक्षकों की गतिविधियाँ :* स्कूलों के बंद रहने के दौरान शिक्षक शैक्षिक और ग़ैर-शैक्षिक दोनों ही तरह के कामों में लगाए गए थे। लगभग 30 प्रतिशत शिक्षकों को कोविड-19 टीकाकरण अभियान और राशन वितरण संबंधी कार्यों में लगाया गया। क़रीब 30 प्रतिशत शिक्षक व्हाट्सऐप, यूट्यूब लिंकों के माध्यम से अपने छात्रों के साथ ऑनलाइन संपर्क में रहे और फ़ोन के माध्यम से उनसे जुड़े रहे ताकि बच्चे घर पर रहकर पढ़ाई जारी रख सकें। लगभग 35 प्रतिशत शिक्षकों ने बच्चों के घरों का दौरा करके यह जाना कि बच्चों की पढ़ाई ठीक से चल रही है या नहीं। हालाँकि, हिंडौन में क़रीब 20 प्रतिशत ने बताया कि जब स्कूल बंद थे तब उनके लिए शैक्षिक गतिविधि शुरू करना संभव नहीं था।
- *शिक्षकों का क्षमता संवर्धन :* सर्वेक्षण में शामिल कुल शिक्षकों में से एक-तिहाई ने कहा कि जब स्कूल बंद थे उस दौरान उन्हें कोई न कोई प्रशिक्षण दिया गया। इन प्रशिक्षणों में डिजिटल उपकरण का प्रयोग करना, कोविड-19 का प्रबंधन और महामारी के दौरान बच्चों से संपर्क बनाए रखना ताकि उनकी शिक्षा में आने वाली कमी को दूर किया जा सके।

2. स्कूल के बंद रहने के दौरान बच्चों को सिखाना

- *डिजिटल शिक्षा तक पहुँच वाले बच्चों को सिखाना :* लगभग आधे बच्चों ने बताया कि उन्हें डिजिटल शिक्षा सुलभ थी और आबू रोड में ऐसा बताने वाले बच्चों का प्रतिशत 61 था। जिन बच्चों को डिजिटल शिक्षा उपलब्ध थी उनका उत्तर मिश्रित था। लगभग 10 प्रतिशत बच्चों ने बताया कि ऑनलाइन शिक्षा आमने-सामने की शिक्षा से बेहतर है, 40 प्रतिशत शिक्षा के इन दोनों माध्यमों के बारे में उदासीन दिखे जबकि क़रीब 20 प्रतिशत ने कहा कि डिजिटल शिक्षा का उनका अनुभव आमने-सामने की पढ़ाई से बहुत ख़राब है। ऑनलाइन शिक्षा की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि बच्चे का अनुचित सामग्री के संपर्क में आये। आबू रोड और पिंडवारा में 30 प्रतिशत से अधिक अभिभावकों ने इसे स्वीकार किया। 10 अभिभावकों में से 8 ने माना कि डिजिटल उपकरण पर उनका खर्चा बढ़ गया है जबकि 10 में से 7 अभिभावकों ने बताया कि ऑनलाइन कक्षा संभालने का कौशल उनके पास नहीं है और यह उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। शिक्षकों ने बताया कि सबसे बड़ी चुनौती है शिक्षकों और छात्रों के पास डिजिटल उपकरण और उसको चलाने के कौशल का नहीं होना।
- *ऐसे बच्चों की सिखाई जिनकी डिजिटल शिक्षा तक पहुँच नहीं है :* लगभग आधे बच्चों ने बताया कि डिजिटल शिक्षा उनको सुलभ नहीं है। इन बच्चों को शिक्षकों, सामुदायिक शिक्षा केंद्रों, मोहल्ला कक्षाओं आदि के माध्यम से शिक्षा दी गयी। एक प्रतिशत बच्चों ने बताया कि स्कूल के बंद रहने के दौरान उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की, 65 प्रतिशत ने अध्ययन पर दो घंटे से भी कम समय बिताया। दूसरी ओर, एक तिहाई से भी कम छात्रों ने अध्ययन पर पर्याप्त समय बिताया।
- *सीखने पर समग्र प्रभाव:* औसतन क़रीब 37 प्रतिशत अभिभावकों की शिकायत थी कि बच्चे मामूली वाक्य भी बनाना भूल गए हैं और हिंडौन में 50 प्रतिशत को आशंका थी कि उनके बच्चे की पढ़ने की क्षमता कम हो गयी है। जहां तक गिनती की बात है, इसका प्रतिशत 30 था। हिंडौन और आबू रोड में क़रीब 60 प्रतिशत ने बताया कि उनके बच्चे मूल अक्षर भी भूल चुके हैं। शिक्षा के लिए विभिन्न ऑनलाइन और ऑफ़लाइन कक्षाओं के बावजूद अभिभावकों में बच्चों की पढ़ाई के स्तर के बारे में अनुभव नकारात्मक था क्योंकि ये सारे उपाय बच्चों के स्कूल की पढ़ाई के अनुभव के समतुल्य नहीं थे। सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजनेवाले क़रीब एक-तिहाई अभिभावकों ने बताया कि उनके बच्चे पढ़ाई में दिलचस्पी खो चुके हैं और हिंडौन और पिंडवारा में क़रीब 40 प्रतिशत अभिभावक इस बात से चिंतित थे कि उनके बच्चों में पढ़ाई की गति कम हो गयी है। क़रीब 95 प्रतिशत बच्चों ने बताया कि जब उनके स्कूल खुले थे उस समय उनका पढ़ाई का अनुभव बेहतर था क्योंकि तब उन्हें अपने शिक्षकों, दोस्तों आदि की मदद मिलती थी जो घर के माहौल में नहीं है।

III. कोविड-19 से निपटने के कदम: मुख्य हितधारकों का हस्तक्षेप

- *सरकार की डिजिटल पहल :* राजस्थान में सरकार ने सोशल मीडिया इंटरफ़ेस फ़ॉर लर्निंग एंगेज्मेंट (SMILE) के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई में आए अंतर को कम करने का प्रयास किया। इसके माध्यम से सरकारी स्कूल के छात्रों को ऑनलाइन सामग्री और वर्कशीट उपलब्ध कराए गए। बच्चों को रेडियो (शिक्षावाणी) और टेलिविज़न (शिक्षादर्शन) के माध्यम से भी शिक्षा दी गयी। इनके अतिरिक्त, ई-कक्षा नाम से एक यूट्यूब चैनल भी शैक्षिक सामग्री पहुंचाने के लिए बनाया गया। शिक्षकों को दीक्षा (DIKSHA) के माध्यम से 15 दिनों का प्रशिक्षण दिया गया। स्ट्रेंथनिंग टीचिंग-लर्निंग एंड रेज़ल्ट्स फ़ॉर स्टेट्स (STARS) कार्यक्रम भी शुरू किए गए ताकि स्कूलों में आकलन के व्यवस्था में सुधार लाया जा सके। यद्यपि सरकारी अधिकारियों ने डिजिटल समाधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया पर ज़मीनी स्तर पर सिर्फ कुछ ही बच्चों ने इसके प्रयोग की बात कही। उदाहरण के लिए, सिर्फ 11 प्रतिशत ने बताया कि उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य के लिए डिजिटल प्लैट्फ़ॉर्म्स का प्रयोग किया। दूसरी ओर, हिंडौन में 75 प्रतिशत बच्चों ने मनोरंजन के लिए टीवी और क़रीब 25 प्रतिशत बच्चों ने स्मार्टफ़ोन का प्रयोग किया। किसी अभिभावक ने यह नहीं कहा कि उनके बच्चों ने शिक्षा के लिए टेलिविज़न का प्रयोग किया। पिंडवारा में 51 प्रतिशत ने ऑनलाइन प्लैट्फ़ॉर्म्स के प्रयोग की बात कही जबकि 39 प्रतिशत ने कहा कि उनके बच्चों ने पाठ और गतिविधियों को नोट करने के लिए व्हाट्सऐप का प्रयोग किया।
- *सरकार के ऑफ़लाइन पहल :* शिक्षकों का छात्रों के घर जाना, खुले आसमान में आयोजित होने वाली कक्षाएँ, चल स्कूल, कैंप विद्या (ऐसी पहल जिसमें बच्चों को गतिविधि-आधारित शिक्षा के लिए लड़कियों की मदद ली जाती है), वर्कशीट का वितरण आदि जैसे ऑफ़लाइन कदम राजस्थान सरकार ने उठाए। हिंडौन में क़रीब 30 प्रतिशत अभिभावकों ने इस बात की पुष्टि की कि उनके बच्चों ने खुले आसमान में आयोजित कक्षा का लाभ उठाया। पिंडवारा में काफ़ी अधिक अनुपात (70 प्रतिशत) में अभिभावकों ने शिक्षकों के घर का दौरा करने की बात स्वीकार की। स्कूलों के बंद रहने की अवधि के बाद वाले चरण में जब कक्षाओं में पढ़ाई शुरू हुई, तो इसमें काफ़ी दिलचस्पी दिखायी गयी और हिंडौन के 55 प्रतिशत अभिभावकों ने बताया कि उनके बच्चों ने इस तरह की कक्षाओं का लाभ उठाया।
- *NGOs की पहल :* टाटा ट्रस्ट की सहयोगी संगठन सेंटर फ़ॉर माइक्रो फ़ाइनैन्स (CMF) की मदद समुदाय में अध्ययन जारी रखने के महत्व, ऑनलाइन कक्षा, व्हाट्सऐप सामग्री, टेलिविज़न कार्यक्रमों का प्रसारण, बाल सुरक्षा, समय से पहले शादी के दुष्प्रभाव आदि का प्रयोग करने के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए ली गयी। इसने छात्रों में टैबलेट बाँटे और छोटे समूहों में बच्चों को पढ़ाने के लिए स्वयंसेवकों की नियुक्ति की। सचल पुस्तकालय के माध्यम से बच्चों को उनके घर पर पुस्तकें उपलब्ध करायी गयीं। शिक्षण मित्रों (SF) ने बच्चों, शिक्षकों और सरकारी स्कूलों के SMC और स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर काम किया। आबू रोड और पिंडवारा में लगभग 30 प्रतिशत अभिभावकों ने बताया कि गाँव के स्तर पर बच्चों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गैर-सरकारी संगठनों की सेवाएँ ली गयीं पर बहुत कम अनुपात में लोगों ने गैर-सरकारी संगठनों से किसी भी तरह के शैक्षिक सामग्री मिलने की बात कही।
- *शिक्षकों की पहल :* क़रीब तीन-चौथाई शिक्षकों ने बताया कि बच्चों को स्कूल वापस लाने के लिए वे बच्चों के घर गए और स्कूलों में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की। पिंडवारा में क़रीब 10 प्रतिशत व्हाट्सऐप के माध्यम से बच्चों के संपर्क में थे ताकि उन्हें स्कूल वापस लाया जा सके। आबू रोड में 60 प्रतिशत ने बच्चों के घर पर फ़ोन करने की बात कही जबकि हिंडौन में 10 प्रतिशत ने स्वीकार किया कि स्कूल के बंद रहने के दौरान बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किए।
- *अन्य हितधारकों की पहल :* पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों ने जल की आपूर्ति, बच्चों को आकर्षित करने के लिए स्कूलों के दीवारों को पेंटिंग से सजाने और चारदीवारी और शौचालय के रख-रखाव में योगदान दिया जो कि दो वर्षों तक स्कूलों के बंद रहने के कारण जर्जर हो गए थे।
- *आंगनबाडी केंद्रों के पुन: खुलने के बाद प्रदर्शित तत्परता:* आंगनवाड़ी केंद्र दुबारा खुलने के बाद बच्चों का स्वागत करने के लिए कई तरह के कदम उठाए। इस संबंध में तैयारी की गयी, सुरक्षात्मक कदम उठाए गए और ऐसी गतिविधियाँ इन्होंने आयोजित की, ताकि बच्चे इस ओर आकर्षित हों और इस तरह उनकी पढ़ाई और हक़दारी सुनिश्चित की गयी। औसतन 87 प्रतिशत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्रों (AWCs) की सफ़ाई सुनिश्चित की। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जब दुबारा स्कूल खुलने की बात हुई तो आंगनवाड़ी केंद्रों को नियमित रूप से सैनिटाइज किया जाता था। 80 प्रतिशत से अधिक अभिभावकों ने शारीरिक दूरी को बनाए रखने का कार्य सुनिश्चित किया। आधे से कम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बच्चों से बात करने की बात कही ताकि उन्हें सहज महसूस कराया जा सके और एक-तिहाई ने कहा कि उन्होंने बच्चों के स्वास्थ्य और उनके व्यवहार पर नज़र रखी।
- *स्कूलों में हक़दारियाँ :* सर्वेक्षण में शामिल सरकारी स्कूलों ने बच्चों को कोविड महामारी से पहले पाठ्यपुस्तकों, वर्दी, मध्यान्ह भोजन आदि का वितरण किया था, पर जब महामारी के कारण स्कूलों को बंद कर दिया गया तो इनका वितरण अचानक रुक गया, सिर्फ मध्यान्ह भोजन ही जारी रहा और उस दौरान भी बच्चों को सूखा राशन ही दिया गया। स्कूल के दुबारा खुलने के बाद बच्चों को पका हुआ खाना दिया जाने लगा। कोविड से पहले स्कूलों में सैनिटरी पैड्स का वितरण होता था पर स्कूल खुलने के बाद अभी तक इसका वितरण दुबारा शुरू नहीं हुआ है। शिक्षकों ने यह भी कहा कि महामारी के दौरान स्कूलों के बंद रहने और दुबारा खुलने पर उन्होंने बच्चों के लिए बुनियादी और बेहतर कक्षाएं और सामुदायिक कक्षाएं भी आयोजित की।
- *स्कूल शिक्षकों की तत्परता :* स्कूलों के दुबारा खुलने पर बच्चों के स्वागत के लिए शिक्षकों ने सुरक्षात्मक कदमों की तैयारी की और स्कूलों में बच्चों का स्वागत किया। बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगभग सभी शिक्षकों ने बताया कि वे स्कूलों में नियमित रूप से स्वच्छता बनाए रखने, मास्क आदि के वितरण में लगे हुए थे। शुरुआत में शारीरिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को रोटेशन के आधार पर स्कूल आने को कहा गया।

C. सुझाव

I. नीति निर्माताओं के लिए

- *हाशिए के समुदायों की सामाजिक सुरक्षा* : नीति निर्माताओं के लिए जरूरी है कि वे हाशिए पर मौजूद वर्ग को सामाजिक मदद दें और मनरेगा (MGNREGA) के माध्यम से उनके लिए अतिरिक्त रोज़गार पैदा करें ताकि वे लोग ग़रीबी और भारी ऋण जाल से मुक्त हो सकें।
- *बच्चों की सुरक्षा* : सरकार को जहां भी जरूरी हो, लाभ पैकेज दिए जाने संबंधी मानदंड में ढील देना चाहिए, लड़कियों के लिए ज़्यादा आवासीय सुविधाएँ बढ़ानी चाहिए और बाल शोषण, बाल मज़दूरी, मानव तस्करी और बाल विवाह के लिए कठोर नीति अपनानी चाहिए।
- *बच्चों की लाचारी पर वास्तविक समय आंकड़े इकट्ठा करने पर निवेश* : महामारी के बाद ड्रॉप आउट और बाल शोषण, तस्करी, कम उम्र में शादी, बाल मज़दूरी आदि की घटनाएं बढ़ रही हैं। बच्चों की इन मुश्किलों को दूर करने के लिए सरकार को चाहिए कि बच्चों की लाचारी के बारे में सटीक डाटा इकट्ठा करने के लिए इसमें उचित निवेश करे।
- *बच्चों को लेकर कोई हस्तक्षेप अधिकार आधारित, समावेशी और टिकाऊ होना चाहिए* : राज्य को बच्चों के शिक्षा के अधिकार की रक्षा करने की मुख्य जिम्मेदारी लेनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि कठिन परिस्थितियों में भी बच्चों की शिक्षा के अधिकार पर कोई ख़तरा पैदा नहीं हो और इसका का उल्लंघन न हो।
- *शिक्षा के लिए वित्तीय आवंटन* : नीति निर्धारकों के समक्ष शिक्षा के लिए फंड के अभाव और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के नियमों और प्रावधानों को लागू करने के मुद्दे को उठाएँ।
- *सरकारी शिक्षा को मज़बूत बनाना* : सरकारी शिक्षा व्यवस्था को मज़बूत बनाए जाने की बात पर ज़ोर दें और इसको लेकर शिक्षकों की भर्ती, शिक्षकों के प्रशिक्षण और बुनियादी सुविधाओं और इन मुद्दों के आधार पर सरकार को प्राथमिकताओं का निर्धारण करना है।
- *ICT को एक टूल माना जाए न कि आमने-सामने की शिक्षा का स्थानापन्न* : प्रमाण के साथ इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में ICT आमने-सामने की शिक्षा का स्थानापन्न नहीं बने बल्कि अंतर को पाटने के लिए इसका एक टूल के रूप में प्रयोग हो।
- सीखने की व्यापक परिभाषा : महामारी ने बच्चों के सीखने के स्तर में पैदा हुए अंतर को उजागर किया है। सीखने की परिकल्पना को बच्चों के संपूर्ण विकास के साथ जोड़कर देखना चाहिए। यद्यपि इस बारे में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना (NCF) और शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम में प्रयास किया गया, पर अभी तक इस बारे में संपूर्ण रूप से कोई कदम नहीं उठाया गया है और अब राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना में संशोधन की ज़रूरत महसूस की जा रही है ताकि महामारी के दौरान जिन बातों का हमें पता चला उसके आलोक में सीखने के परिदृश्य को और व्यापक बनाया जा सके।

II. फ़ंडिंग एजेंसियों के लिए

- *बच्चों की लाचारी के अध्ययन के लिए फंड की व्यवस्था*: महामारी के बाद बच्चों के ड्रॉपआउट होने पर और बाल मज़दूरी, तस्करी, बाल शोषण, बाल विवाह आदि के बारे में भी वास्तविक समय का पर्याप्त डाटा उपलब्ध नहीं है। बच्चों की मुश्किलों से संबंधित मुद्दों के लिए वित्तीय मदद उपलब्ध कराए जाने की ज़रूरत है।
- कोविड के प्रभावों पर शोध और हस्तक्षेप के लिए वित्तीय मदद : डोनर संगठन उस शोध और हस्तक्षेप कार्य के लिए रकम दे सकते हैं जो इस बात की जाँच करने और उसके समाधान की कोशिश कर रही है कि कोविड के कारण बच्चों की शिक्षा के रास्ते में कौन सी मुश्किलें पैदा हुई हैं।

III. स्थानीय समुदाय के लिए

- *स्कूलों के सामुदायिक स्वामित्व की सोच को आगे बढ़ाना:* राजस्थान और कर्नाटक में पंचायतों, स्कूल प्रबंधन समितियों और समुदायों की सक्रिय सहभागिता की बात सामने आयी जबकि दूसरे राज्यों में यह व्यवस्था टूटती नज़र आयी। एक राज्य के सफल मॉडल को दूसरे राज्यों में अमल में लाना चाहिए।
- *PRIs और SMCs की सक्रिय भागीदारी* : पंचायतों और SMCs को स्कूलों को मज़बूत बनाने की गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए और स्कूल विकास में उनके सकारात्मक योगदान के लिए उनको उचित प्रोत्साहन मिले।

IV. टाटा ट्रस्ट, फ़ील्ड स्टाफ़ और दूसरे **NGOs** के लिए

नीति निर्धारकों के लिए जिन सुझावों पर जोर दिया गया है उनको लागू करने पर टाटा ट्रस्ट, फ़ील्ड स्टाफ़ और दूसरे गैर-सरकारी संगठन इनको लागू करने, इनके बारे में एडवोकेसी करने जैसे कार्यों और इनके लिए सामुदायिक संसाधन उपलब्ध कराने का कार्य कर सकते हैं। इस संबंध में उनकी गतिविधियों को लेकर जो विशेष सुझाव तैयार किए जा सकते हैं उन्हें टेबल- 1 में दिया गया है :

टेबल 1: टाटा ट्रस्ट और दूसरे NGOs के लिए विशिष्ट सुझाव				
	अमल (सेवा प्रावधान)/ जागरुकता पैदा करना	एडवोकेसी	क्षमता संवर्धन	शिक्षा में हस्तक्षेप पर नज़र रखनेवाले वॉच्डॉग के रूप में
हाशिए पर मौजूद वर्गों के लिए अतिरिक्त सामाजिक मदद का प्रावधान	● मुश्किल समय में आपातकालीन किट्स, खाद्य पदार्थ, सूखे राशन आदि की आपूर्ति	● सामाजिक सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाने की ज़रूरत को लेकर एडवोकेसी	● आशा (ASHA), आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, SHGs, समुदाय आदि का तत्काल मदद पहुँचाने के लिए क्षमता संवर्धन	● मुश्किल झेल रहे लोगों की सामाजिक सुरक्षा पर सर्वेक्षण
बच्चों की लाचारी और उन्हें दूर करने के मुद्दे से संबंधित रियल टाइम डाटा कलेक्शन	● बाल विवाह, बाल तस्करी, बाल श्रम, आदि पर गाँव/ब्लॉक/ज़िला या जहां भी संभव हो, राज्य स्तर पर डाटा इकट्ठा करना ● लड़कियों और जिन बच्चों की विशेष मदद की ज़रूरत है उनकी शिक्षा के लिए जागरुकता पैदा करना और उनको सिखाने के लिए हस्तक्षेप करना	● बच्चे जिस तरह की मुश्किलों का सामना कर रहे हैं उसके बारे में अद्यतन डाटा के अभाव के ख़िलाफ़ एडवोकेसी करना ● जिन बच्चों के मां या बाप में से किसी की कोविड के कारण मौत हो गयी है ऐसे बच्चों को कोविड राहत से बाहर रखने के ख़िलाफ़ एडवोकेसी करना	● प्रभावित बच्चों के लिए शिविर लगाना और उनकी काउंसेलिंग करना ताकि वे दुबारा स्कूल की मुख्यधारा में शामिल हो जाएं ● बच्चे पढ़ाई के साथ-साथ काम भी कर सकें इसके लिए उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण देना और उनके लिए उपचारी कक्षा आयोजित करना	● अगर बाल विवाह, बाल तस्करी, बाल मज़दूरी, शोषण आदि के बारे में पता चलता है तो इसके बारे में आवाज़ उठाना ● आवासीय स्कूलों, शिविरों, घरों, स्कूलों आदि जगहों पर अगर बच्चों के साथ बदसलूकी की घटना का पता चालता है तो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना ● बच्चों को पेश आ रही मुश्किलों की निगरानी और उनको रोकने के लिए स्वयंसेवकों और समुदाय संयोजकों की मदद लेना
शिक्षकों की भर्ती, प्रशिक्षण और बुनियादी ढाँचा तैयार करने जैसी बातों के लिए सरकारी शिक्षा व्यवस्था को मज़बूत करना	● शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए प्रशिक्षण मोड्यूलों का पाठ्यक्रम तैयार करना ● महामारी के बाद स्कूल खुलने पर सरकारी स्कूलों को अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए उनकी मदद करना ● सरकारी स्कूलों का बुनियादी ढाँचा तैयार करने में हस्तक्षेप के लिए संसाधन जुटाना	● शिक्षकों की भर्ती और शिक्षकों की गुणवत्ता को लेकर एडवोकेसी करना	● प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण ● शिक्षकों के प्रशिक्षण में पढ़ाने को लेकर बच्चों के जो भोगे हुए अनुभव रहे हैं उनको शामिल करना चाहिए ● निम्न मुद्दों पर शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना : कोविड के बाद बच्चों के साथ कैसे पेश आएँ, बच्चों के लिए मनोवैज्ञानिक मदद, सिखाने का स्तर ऊँचा करना, बाल विकास आदि ● भविष्य में पैदा होने वाले मुश्किल हालात/स्कूलों के बद होने की स्थिति से निपटने के बारे में शिक्षकों की तैयारी को लेकर प्रशिक्षण	● शिक्षकों की कमी के बारे में आवश्यकता के आकलन का अध्ययन कोविड की चुनौतियों से निपटने के लिए फंड की कमी पर पॉलिसी ब्रीफ़
किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए एक टूल के रूप में ICT को मान्यता न कि उसे आमने-सामने की शिक्षा का स्थानापन्न बना दिया जाए	● ऐसी जगह जहां बच्चों को डिजिटल एक्सेस उपलब्ध नहीं है वहाँ पर उनकी सुविधा के लिए ICT में अंतर को पाटना ● आमने-सामने की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक अध्ययन गतिविधियों को जारी रखना	● डिजिटल शिक्षा के लाभ और घाटे के बारे में पॉलिसी ब्रीफ़ के माध्यम से एडवोकेसी	● शिक्षा के लिए एक टूल के रूप में ICT के प्रयोग को लेकर शिक्षकों का क्षमता संवर्धन ● बच्चों में मोबाइल की लत से निपटने के लिए बच्चों के साथ काउंसेलिंग सत्र का आयोजन	● ICT के समझदारी भरे प्रयोग पर शिक्षा संबंधी हितधारकों के साथ बातचीत और विचार-विमर्श

बच्चों को शिक्षा के अधिकार सुनिश्चित किए जाएँ और इस बारे में समावेशी कदम उठाए जाएं	बचपन पूर्व शिक्षा ● महामारी के बाद स्कूल खुलने पर स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति नियमित हो और उन्हें स्कूल भेजने की ज़रूरत के बारे में अभिभावकों में ज़ारूकता पैदा करने का अभियान चलाना ● आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को पोषक आहार और सप्लिमेंट्स की आपूर्ति नियमित रूप से जारी रहे यह सुनिश्चित करना	● उस समय एडवोकेसी करना जब बच्चों को (पोषक आहार) भोजन और शिक्षा के अधिकार नहीं सुनिश्चित किए जा रहे हैं	● स्कूलों के दुबारा खुलने के चरण में बच्चों के साथ कैसे पेश आया जाए इस पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और शिक्षकों का क्षमता संवर्धन ● आंगनवाड़ी शिक्षकों को उनकी ज़रूरत को पूरा करने में हाथ बँटाना	● आंगनवाड़ी केंद्रों के कार्य-कलापों की निगरानी
	स्कूली शिक्षा ● स्कूल दुबारा खुलने पर बच्चों को स्कूल भेजने की ज़रूरत और स्कूल में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के मुद्दे पर अभिभावकों के साथ जागरुकता अभियान चलाना ● स्कूलों में बच्चों को MDM/सूखा राशन की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए ● आवासीय पॉकेट्स, प्रवासी परिवारों के बच्चों, स्कूलों के ड्रॉप आउट कर जानेवाले बच्चों आदि (जो सरकार की पहुँच के बाहर थे) जिन तक पहुँच बनाना मुश्किल है, के लिए शैक्षिक हस्तक्षेप ● उच्चतर माध्यमिक स्तर तक छात्रों के पहुँचने और इसे पूरा करने की दर पर नज़र रखना और ड्रॉप आउट करनेवाले या काम करनेवाले छात्रों के लिए योजना बनाना और उसे लागू करना ● बच्चों पर स्कूलों के बंद रहने के कारण हुए मानसिक असर को लेकर अभिभावकों के साथ मिलकर जागरुकता अभियान चलाना ● बच्चों के भोगे हुए अनुभवों को NGOs के हस्तक्षेप में शामिल किया जाना चाहिए – जैसे काम करनेवाले बच्चों के लिए सीखने का अलग समय; जिन बच्चों की पढ़ाई में दिलचस्पी ख़त्म हो गयी है उनके लिए सीखने की अलग रणनीति अपनाना; घर पर जिन बच्चों को हिंसा या ग़ुस्से का सामना करना पड़ता है उनके साथ बातचीत करना, संवाद का सत्र आयोजित करना।	● RTE नियमों और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फंड की कमी को लेकर एडवोकेसी करना ● जब बच्चों को MDM/सूखा राशन और शिक्षा सुनिश्चित नहीं किया जाता हो तब एडवोकेसी करना	● महामारी के बाद स्कूलों के दुबारा खुलने पर बच्चों के साथ कैसे पेश आया जाए इस मुद्दे पर शिक्षकों का क्षमता संवर्धन करना ● अगर शिक्षकों को मदद की ज़रूरत है तो उन्हें मदद पहुँचाना	● स्कूलों के कामकाज की निगरानी करना
सीखने की परिभाषा का विस्तार करना और सीखने के बारे में हस्तक्षेप की योजना बनाना और उसे लागू करना	● बच्चों की समग्र सिखाई पर शिक्षकों के लिए टूलकिट्स विकसित करना ● सिखाई संबंधी हस्तक्षेप ताकि ख़ासकर कक्षा तीन से पाँच तक के बच्चों में सिखाई के अंतर को दूर किया जा सके	● समग्र सिखाई के मुद्दे पर सांसदों, NGOs, अकादमिकों आदि से बातचीत और चर्चा करना	● बच्चों की समग्र सिखाई पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करना	● पॉलिसी ब्रीफ़ और फ़ील्ड सर्वेक्षणों के माध्यम से सिखाई की संकीर्ण परिभाषा को उजागर करना

नोट: जो विशिष्ट सुझाव दिए गए हैं वे संकेतात्मक हैं। टाटा ट्रस्ट को जो विशेषज्ञता हासिल है उसके आधार पर ज़्यादा विशिष्ट गतिविधियों की योजना तैयार की जा सकती है।